

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 17, 1981/आश्विन 25, 1903
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17, 1981/ASHVINA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1981

का० नि० आ० 25-ई.—सशस्त्र सेना (आपात द्यूटिया) अधिनियम 1947 (1947 का 15वां)
की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार,
रक्षा मंत्रालय, दिनांक 18 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 14-ई, 16 मई,
1981 की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 15-ई, 16 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या
का० नि० आ० 17-ई, 16 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 18-ई, 17
अगस्त, 1981 की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 21-ई तथा 16 सितम्बर, 1981 की अधि-
सूचना संख्या का० नि० आ० 22-ई के अनुक्रम में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा असम राज्य में

पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण, संभरण, संचालन और भनुरक्षण तथा पाइप लाइनों और तेल प्रतिलानों को चलाने से संबंधित प्रत्येक सेवा को 18 अक्तूबर, 1981 से एक महीने की और भवधि के लिए समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फा० सं० 2 (35)/80/बी (जीएस-1)]

सी० बी० नारायणन, संयुक्त सचिव (ई)।

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 1981

S.R.O. 25-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 14-E dated the 18th April, 1981, S.R.O. No. 15-E dated the 16th May, 1981, S.R.O. No. 17-E dated the 16th June, 1981, S.R.O. No. 18-E dated the 16th July, 1981, S.R.O. No. 21-E dated the 17th August 1981 and S.R.O. No. 22-E dated the 16th September, 1981, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the generation, supply, operation and maintenance of petroleum products and running of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 18th October, 1981.

[F. No. 2(35)/80/D(GS. I)]

C. V. NARAYANAN, Jt. Secy. (E).